

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक एफ 8/2009/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय:—मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अन्तर्गत दिनांक 01/01/2006 से स्वीकृत वेतन ढाँचे में वेतन नियतन बाबत निर्देश ।


संदर्भ:—इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 28 फरवरी 2009

विषयांकित के संबंध में संदर्भित परिपत्र द्वारा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये हैं । उक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में वेतन नियतन के फलस्वरूप दिनांक 01/09/2008 से वर्तमान तक देय अवशेष राशि का नगद भुगतान मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-2/2008/नि/चार दिनांक 15/09/2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 18/09/2008 के अनुसार स्वीकृत अंतरिम राहत का समायोजन कर किया जाये ।
2. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान में देय नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं है। अतः इसका समायोजन भी अवशेष राशि से किया जाये एवं भविष्य में इसका भुगतान नहीं किया जाये ।
3. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन तथा 01/09/2008 के पश्चात् की अवशेष राशि का भुगतान मार्च 2009 के वेतन देयक (जिसका भुगतान अप्रैल 2009 में किया जायेगा) के साथ किया जा सकेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार




(प्रमाकर बंसोड़)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
 3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
 5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
 6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
 7. निज सचिव/ निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
 8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
 9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
 10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण
भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
 11. महाविध्वक्ता/उप महाविध्वक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
 12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश
ग्वालियर/भोपाल ।
 13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
 14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
 15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
 16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के
लिये,
 17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण
शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी)मंत्रालय, भोपाल
 18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
 19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
 20. सभी प्राचार्य, लखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
 21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
 22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
 23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों
 24. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
 25. गार्ड फाईल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(विजयलक्ष्मी बारस्कर)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग